बिहार सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) निदेशालय, बिहार
(समाज कल्याण विभाग)
द्वितीय तल, इंदिरा भवन, राम चरित्र सिंह पथ, पटना–800001
फोन: +91-612-2520960, फैक्स+91-612-2535900, website: www.icdsbih.gov.in

हमारा बिहार

पत्र संख्या – ICDS/40010/02-2013/ 1875 दिनांक 08/05/2018

प्रेषक,

निदेशक,
आई.सी.डी.एस.

सेवा में,

सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी।

विषय :- ऑगनबाडी केन्द्रों पर ECCE-(प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख एवं शिक्षा) कार्यक्रम के सुचारू क्रियान्वयन हेतु दैनिक समय-सारणी एवं समय-सारणी संचालन हेतु दिशा-निर्देश के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्कूल पूर्व शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु स्वस्थ वातावरण को आंगनवाड़ी केंद्र पर उपलब्ध करना है जिससे बच्चा अपनी पूरी क्षमता का अनुभव करते हुए प्रेरक माहौल में विकसित हो सके ।

ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय ECCE नीति 27 सितम्बर, 2013 के अनुसार ऑगनबाडी केन्द्रों पर प्रतिदिन 03 से 04 घंटे स्कूल पूर्व शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है जिसमें थीम आधारित ECCE गतिविधियॉ आयोजित की जायेगीं। इन गतिविधियों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य आंगनवाड़ी केन्द्रों को "Vibrant ECD Centre" के रूप में विकसित करना है, जिससे समुदाय एवं अभिभावकों को बच्चे में हो रहे विकास एवं शैक्षणिक गुणवत्ता के बारे में समुचित जानकारी मिल सके और बच्चों को खेल-कूद के माध्यम से मनोरंजक वातावरण में शिक्षित एवं विकसित किया जा सके । राज्य के सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा कार्यक्रम के सुचारू आयोजन के लिए निम्नलिखित सामग्रियाँ उपलब्ध कराई गयी हैं:

- **नई पहल - भाग 1 (मैं स्वयं)**
- **नई पहल - भाग 2 (मेरा परिवार)**
- **नई पहल - भाग 3 (भोजन)**
- **आओ गायें: आओ खेलें:**
- **कहानी कार्ड :**
- **अभ्यास पुस्तिका:**
- **मूल्यांकन प्रपत्र:**
- **थीम को प्रदर्शित करने वाला कैलेण्डर**

उपर्युक्त सामग्रियों के माध्यम से तीनों विषयों यथा मैं स्वयं, मेरा परिवार एवं भोजन पर आधारित गतिविधियों के संचालन हेतु तीन अलग-अलग दैनिक समय-सारणी तथा विस्त्तृत दिशा निर्देश तैयार किया गया है जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है जिसके अनुसार सेविका केंद्र पर ECCE गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित करेगी ।

विदित हो कि वर्तमान में आंगनवाड़ी केंद्र की संचालन अवधि ग्रीष्मकाल में- 9.00 बजे पूर्वाहन से 01.00 बजे अपराहन तक (01 अप्रैल से 31अक्टूबर) एवं शीतकाल में- 10.00 बजे पूर्वाहन से 02.00 बजे अपराहन तक (01 नवम्बर से 31 मार्च) तक निर्धारित है।

अतः निदेश दिया जाता है कि अविलम्ब अपने क्षेत्राधीन सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों की बैठक बुलाकर उन्हें दैनिक समय सारणी एवं दिशा निर्देश की छायाप्रति उपलब्ध करावें तथा इस दैनिक समय सारणी के संबंध में उन्मुखीकरण करें। साथ ही उन्हें संलग्न थीम आधारित ECCE समय-सारणी एवं दिशा-निर्देश की मदद से आंगनवाड़ी सेविका द्वारा केंद्र पर ECCE की गतिविधियों का संचालन कराने हेतु निदेशित करे जिससे बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र पर होनेवाले कार्यक्रम विविधतापूर्ण एवं मनोरंजक लगे तथा स्कूल पूर्व शिक्षा की गुणवत्ता परिष्कृत हो सके। साथ ही निदेश दिया जाता है कि इन गतिविधियों का सतत् अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक :- यथोक्त।

7/5/18
निदेशक
आई.सी.डी.एस.

ज्ञापांक:- ICDS/40010/02-2013/ 1875 दिनांक 08/05/2018

प्रतिलिपि:- सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अविलम्ब अपने क्षेत्राधीन सभी ऑगनबाडी सेविकाओं की बैठक बुलाकर उन्हें दैनिक समय सारणी एवं दिशा निर्देश की छायाप्रति उपलब्ध करावें तथा इस दैनिक समय सारणी के संबंध में उन्मुखीकरण करें।

प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग को सूचनार्थ समर्पित।

7/5/18
निदेशक